न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 03/2020

1. उम्मेदसिंह पुत्र महाराजसिंह जाति गुर्जर निवासी गहनौली तहसील महवा ।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महवा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 31.12.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम उम्मेदसिंह प्रकरण सं0 78/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1.श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

:: निर्णय :: दिनांकः 07.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा ने 31.12.2019 को अपीलांट को संवत 2076 फसल रबी में ग्राम जगरामपुरा तहसील महवा के आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 28.31 है0 किस्म चरागाह में से 0.50 है0 पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस बाबत कोई सबूत या दस्तावेज भी नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजस्व अपील सं0 03 / 2020

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जो स्वयं अपीलांट द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट स्वयं न्यायालय में नियत तारीख पेशी को उपस्थित हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस पर स्वंय अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिकमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 90 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं कब्जा नहीं होना तथा भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिकमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला ... दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा